न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–श्री देवेन्द्र कुमार,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या–181/2026

GCMS No.- 2026/192

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय नागौर		श्री राकेश खत्री पुत्र रामबाबू (मालिक) मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार किले की ढ़ाल नागौर तहसील व जिला नागौर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक
2. अप्रार्थी की ओर से अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 06.05.2026

राजस्थान सरकार जरिये श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद अधिकारी कार्यालय, नागौर द्वारा यह प्रार्थना–पत्र गैर सायल के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत पेश कर प्रकरण में जब्त सुदा 04 घरेलू गैस सलेण्डर को समपहरण के आदेश दिए जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण गैर सायल के विरूद्ध दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस वास्ते जबाब देही तलब किया गया। गैर सायल आज सुनवाई पर स्वयं उपस्थित है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 19.03.2026 को समय 11.15 ए.एम. बजे श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन अधिकारी, मैं स्वयं व श्री जितेन्द्र बंशीवाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार किले की ढ़ाल नागौर तहसील व जिला नागौर पर पहुंचे। मौके पर अप्रार्थी श्री राकेश खत्री पुत्र रामबाबू उपस्थित मिले, जिन्होने स्वयं को उक्त होटल का मालिक होना जाहिर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

किया। मौके पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को गैस भट्टी व रेग्यूलेटर से जोड़ा जाकर एल.पी.जी. को ईधन के रूप में कार्य लिया जाकर खाद्य सामग्री, चाय, कॉफी का निर्माण किया जाना पाया गया। मौके पर होटल की तलाशी लेने पर उक्त होटल पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर बिना उपयोग के रखे पाये गये। इस प्रकार मौके पर पाये गये उक्तानुसार कुल 04 घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग, भण्डारण के दस्तावेज मांगे जाने पर उक्त होटल के मालिक अप्रार्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये गये। उक्त होटल के मालिक अप्रार्थी का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन पाये जाने पर मौके पर पाये गये 02 घरेलू गैस का भरे हुए एवं 02 घरेलू गैस के खाली सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया गया। उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों की तलपट्टी निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	एस.आर.नम्बर	नाम कम्पनी	भरे हुए सिलेण्डर का वजन (किलोग्राम में)	खाली सिलेण्डर का वजन (किलोग्राम में)	शुद्ध गैस का वजन (किलोग्राम में)	विशेष विवरण
1	966210-T	HPCL	15.7	15.7	0.0	--
2	260225-T	HPCL	15.5	15.5	0.0	--
3	792925-S	HPCL	30.3	16.1	14.2	--
4	483244-S	HPCL	27.6	15.6	12.0	

उपर्युक्त जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को मौके पर ही श्री कमल पुत्र श्री गणपतराम निवासी भाकरोद हाल मैसर्स नागौर गैस सर्विस नागौर गैस ऐजेन्सी के प्रतिनिधि को सुरक्षा एवं साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखने की दृष्टि से न्यायालय से निर्णय होने तक सुपुर्द किये गये।

इस प्रकार अप्रार्थी का उक्त कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लघंन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तशुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी द्वारा बहस में यह निवेदन रहा कि मेरी दुकान में तो एक ही गैस सिलेण्डर था बकाया तीन गैस सिलेण्डर मेरे निवास स्थान जो मेरी दुकान से चिपती ही है से जब्त किये गये हैं। यह जब्त सुदा गैस सिलेण्डर मेरे विधिक गैस कनेक्शन के होने से इन जब्त सुदा गैस सिलेण्डर को मुझे पुनः सुपुर्द किया जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत मूल प्रार्थना–पत्र में मौके पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को गैसभट्टी व रेग्यूलेटर से जोड़ा जाने का तथ्य अंकित किया है, जिससे

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

यही प्रतीत होता है कि गैर सायल द्वारा 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग लिया जा रहा था। गैर सायल द्वारा अपने घरेलू गैस सिलेण्डरों की गैस कनेक्शन की डायरीयां भी प्रस्तुत की है इसलिए इस प्रकरण में जो दो गैस सिलेण्डर गैस भट्टी व रेग्यूलेटर के जोड़ कर व्यावसायिक उपयोग लिया जा रहा था उनको ही समपहरण (Confiscation) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाकर जब्त सुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर नम्बर 792925-S व 483244-S मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) किया जाकर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, नागौर को आदेश दिये जाते हैं कि जब्तसुदा गैस सिलेण्डर मय गैस का कीमतन निस्तारण किया जावे तथा इनसे प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवाया जावे। यह राशि राजकीय घोषित की जाती है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, नागौर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(देवेन्द्र कुमार)
कलक्टर नागौर
जिला कलक्टर,
नागौर